कार्यालय प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून

पत्रांक KVK/DUN/286 दिनांक 29.05.26

नीलामी सूचना

पन्तनगर विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून में गेंहूँ मात्रा 47 कुन्तल की नीलामी **दिनांकः.19.06.2026** को अपराहन् 2:30 बजे आमंत्रित है। नीलामी खुली बोली के माध्यम से की जायेगी। नीलामी की शर्तें तथा समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में केन्द्र के कार्यालय अथवा पन्तनगर विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.gbpuat.ac.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रभारी अधिकारी,
कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी,
देहरादून

कृषि विज्ञान केन्द्र
Krishi Vigyan Kendra
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology
Dhakrani – 248142, Dehradun (Uttarakhand)
Phone/Fax: 01360-224378, E-mail: kvkdehradun@gmail.com, www.gbpuat.ac.in

भाकृअनुप ICAR

Ref No:KVK/DUN/287

Date: 29.05.26

नीलामी सूचना/शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून के प्रक्षेत्र पर रबी 2025–26 में उत्पादित गेंहूँ अनुमानित मात्रा 47 कुन्तल की खुली बोली के माध्यम से नीलामी/विक्रय किया जाना है। उक्त गेंहूँ को खुली बोली के माध्यम से दिनांक 19.06.2026 को अपराहन् 2:30 बजे केन्द्र पर नीलामी/विक्रय किया जाना है। नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यदिवस में कार्यालय समय पर समय 10:00 से 5:00 बजे तक प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून से प्राप्त की जा सकती है। सभी इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि कृपया उक्त सामग्री को भली भांति निरीक्षण कर लें, तद्नुसार बोली में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

नीलामी की शर्तें:

1. नीलामी में प्रतिभागी को धरोहर राशि के रूप में रू0 5,000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) जमा कराना होगा। अधिकतम बोलीदाता को समिति की स्वीकृति के उपरान्त कुल मूल्य का पच्चीस प्रतिशत अग्रिम धनराशि के रूप में तुरन्त जमा कराना अनिवार्य होगा। गेहूँ उठान से पूर्व कार्यालय में सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। धरोहर राशि को सफल बोलीदाता के विक्रय मूल्य में समायोजित की जायेगी।
2. उचित मूल्य न मिलने की दशा में समिति को नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
3. सफल बोलीदाता को किसी भी प्रकार का बारदाना व श्रमिक केन्द्र द्वारा उपलब्ध नही कराये जायेंगे।
4. नीलामी समिति को बिना कारण बताये नीलाम किये गये गेंहूँ की बिक्री को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. केन्द्र पर ठेकेदार के अधिकृत व्यक्तियों को अनुमति होगी, जिनका पहचान पत्र केन्द्र के कार्यालय से निर्गत करवाया जायेगा।
6. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर पन्तनगर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी एक मात्र मध्यस्थ होंगे, जिनका निर्णय दोनो पक्षों (क्रेता/विक्रेता) को मान्य होगा।
7. इस नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकारी जिला सत्र न्यायालय उधमसिंहनगर होगा।
8. उपरोक्त शर्तो का पालन न करने की दशा में नीलामी रद्द समझी जायेगी।

प्रभारी अधिकारी,
कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी,
देहरादून

प्रतिलिपि:

1. केन्द्र के सूचना पट्ट चस्पा हेतु।
2. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर विज्ञापित हेतु।